

# आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129 )

आदेश पत्रक सं०— ..... से .....  
जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 06/सन-2021- 22 (ऑनलाईन  
वाद सं०— 06/सन-2023- 24 )

केस का प्रकार — विविध वाद

| आदेश का<br>क्र० सं० और<br>तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आदेश पर की<br>गई कार्रवाई के<br>बारे में टिप्पणी<br>तारीख सहित |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                              |
| 18.12.2024                      | <p>—:आदेश: —</p> <p>यह विविध वाद अभिलेख सं०— 06/सन-2021- 22 (ऑनलाईन<br/>विविध वाद सं०— 06/सन-2023- 24) आवेदक मो० युनुस, पिता— स्व०<br/>हुसैनी मियाँ, साकिन— खोरीमहुआ के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में<br/>अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 08,<br/>द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है : —</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>विषयगत भूमि मौजा— विशुनपुर, थाना नं०— 204, खाता सं०— 1,<br/>प्लॉट नं०— 745, रकवा— 40 डी० भूमि सर्वे खतियान के अनुसार<br/>बकास्त खाते की है।</li> <li>प्रश्नगत भूमि से संबंधित स्थल जाँच के दौरान उभय पक्षों से वांछित<br/>राजस्व कागजातों मांग की गई।</li> <li>आवेदक (प्रथम पक्ष) युनुस मियाँ, पिता— स्व० हुसैनी मियाँ, साकिन—<br/>खोरीमहुआ द्वारा वादगत भूमि से संबंधित दस्तावेज सं०— 2950,<br/>दिनांक— 20.04.1944 के द्वारा अपने पिता हुसैनी मियाँ पिता टेको<br/>मियाँ, साकिन खोरीमहुआ के नाम से बजरिये बन्दोबस्ती पट्टा<br/>विक्रेता रामेश्वर पाण्डेय, पिता लेखमन पाण्डेय साकिन— फुलोटाँड<br/>से मौजा— बिशुनपुर खाता सं०— 01, प्लॉट नं०— 745, रकवा— 40<br/>डी० भूमि चौहदी :- उत्तर— तिलक तिवारी, दक्षिण — अकल तिवारी,<br/>पूरब— धान नीज, पश्चिम— लट्टु तिवारी खरिदगी से संबंधित केवाला<br/>छाया प्रति एवं निर्गत जिम्मेदारी रसीद तथा बिहार सरकार रसीद<br/>पंजी— ॥ के पृष्ठ सं०— 01 भोलुम 2 पर निर्गत रसीद वर्ष 1978 —<br/>79 से 1983 — 84 के रसीद 1083978/22/7/83 की छाया प्रति<br/>एवं जिल भू— अर्जन कार्यालय, हजारीबाग Case No. —38/1957<br/>— 58 Form — 10 Hand Acquisition Manual के तहत प्राप्त राशि<br/>से संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति दखल दावे के स्वरूप दस्तावेज<br/>दी गई, जो जाँच प्रतिवेदन में संलग्न है। जो उक्त भूमि केवाला<br/>सं०— 1765, दिनांक— 08.05.1985 के द्वारा केता सुलतान अहमद<br/>पिता अजीज अहमद सा०— नगवा (गाँवा) को वजरिये केवाला सं०—<br/>2950, दिनांक— 20.04.1944 बनाम (मोकीर) विक्रेता आवेदक के<br/>पिता हुसैनीह मियाँ, पिता टेको मियाँ से खाता सं०— 01, प्लॉट<br/>नं०— 745, रकवा— 40 डी० भूमि खरिदगी दस्तावेज की छायाप्रति<br/>एवं संबंधित भूमि को रसीद पंजी— ॥ के पृष्ठ सं०— 83 भोलुम 3<br/>पर निर्गत रसीद वर्ष 1984 — 85 से 1993 — 94 तक एवं ऑनलाईन<br/>पंजी — ॥ एवं ऑनलाईन रसीद की छाया प्रति दी गई, जो जाँच<br/>प्रतिवेदन में संलग्न है।</li> <li>द्वितीय पक्ष प्रकाश तिवारी वगै० पिता मधुसुदन तिवारी साकिन—<br/>बिशुनपुर द्वारा विषयगत भूमि से संबंधित किसी प्रकार का वांछित<br/>राजस्व कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया। पूछ— ताछ के क्रम में</li> </ol> |                                                                |

बताया गया कि विषयगत भूमि हमारे पूर्वजों के नाम से बकास्त  
खतियानगत भूमि के अन्तर्गत का भूमि है।

जॉच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर पक्ष  
रखने को कहा गया। कई मौकों देने के बावजूद उभय पक्षों के द्वारा कोई  
लिखित जवाब दाखिल नहीं किया गया है न ही अपने पक्ष या समर्थन में  
कोई कागजात पेश किया गया है।

चूँकि अभय पक्ष के द्वारा वाद में कोई रुचि नहीं ली जा रही है अतः  
वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्रवाई बंद किया जाता  
है। विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

 18.12.24  
अंचल अधिकारी,  
धनवार।

 18.12.24  
अंचल अधिकारी,  
धनवार।